संचिका संख्या 6948 / 4 / 26 / 2022

दिनांकः— 23.01.2023

दिनांक 14.12.2022 के आदेश के आलोक में श्री विजय कुमार कार्यपालक अभियंता पाटलीपुत्रा प्रमंडल, पटना नगर निगम श्री संतोष कुमार झा अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, पटना एवं श्री अमषेतु कुमार महाप्रबंधक, बुडको पटना उपस्थित हैं। श्री विजय कुमार के द्वारा एक प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया है। जिसके द्वारा उन्होंने यह प्रतिवेदित किया गया है कि :—

1. वर्णित स्थल पर कुल 1159 मी0 ढक्कन सहित आर.सी.सी. नाले का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें लगभग 800 मी0 लम्बाई का नाला का निर्माण घटना के पूर्व करा लिया गया था। निर्मित पूरी लम्बाई (800 मी0) में निर्माण के दौरान ही ढक्कन लगा दिया गया था। निर्माण के बाद नाले का Geo Tagged photo अवलोकनार्थ संलग्न। घटना दिनांक 07.11.2022 को घटी है, फोटो दिनांक 16.08.2022 को ली गई थी।
2. घटना स्थल के पास अवस्थित दुकान में लगे CCTV Footage से स्पष्ट है कि बच्चे को नाले में घकेला गया है। यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या प्रतीत होती है।
3. घटना के बाद स्थल जांच के दौरान पाया गया कि कुछ ढक्कन अपनी जगह से हटाकर किनारे रखे थे। शक के आधार पर कार्यकारी एजेंसी एवं अज्ञात पर ढक्कन विस्थापित करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है।
4. जिलाधिकारी, पटना के पत्रांक—13715, दिनांक 08.11.2022 में दिए गए निदेश के आलोक में सभी ढक्कनों को पुनर्स्थापन कर स्पष्टीकरण का जवाब दे दिया गया है।

नाले की वर्णित लम्बाई 800 मी. में ढक्कन सहित निर्माण कार्य एवं इसका भुगतान दिनांक—17.08.2022 को किया गया। जबकि नगर आयुक्त, पटना के पत्रांक—12264, दिनांक—27.08.2022 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में मैंने दिनांक —01.09.2022 को पाटलिपुत्रा प्रमंडल का कार्यभार प्राप्त किया है। स्पष्ट है कि नाले के निर्माण एवं भुगतान मेरे पाटलिपुत्रा प्रमंडल में पदस्थापन के पूर्व किया गया है। परन्तु उन्हें पृच्छा करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि घटना के समय वह स्लैब हटा हुआ था।

जहां तक कार्यपालक अभियंता के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का सवाल है। घटना हत्या का हो या दुर्घटना यह तभी संभव हुआ जब स्लैब हटा हुआ था। जो नगर निगम के द्वारा काम कराये जाने वाले ठेकेदार के गलती के कारण हुआ है। साथ ही इस घटना में एक बच्चे की मृत्यु हुई है। इस से इंकार नहीं किया जा सकता और इस मृत्यु के लिए पटना नगर निगम और ठेकेदार जिम्मेवार है। अतः एक बच्चे के परिवार की हुई मानव जीवन की क्षति हुई जो उसके परिवार के लिए अपुर्णीय क्षति है अतः क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जाना आवश्यक है। अतः बच्चों के मृत्यु के लिए उसके परिवार को जिस तरह से मानसिक परेशानी एवं वेदना से गुजरना पड़ रहा है इसके लिए कम से कम वे क्षतिपूर्ति अनुदान के हकदार है जिससे की उनकी विपत्ति पर कुछ मरहम लगाया जा सकता है।

श्री संतोष कुमार झा अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन के द्वारा यह सूचित किया गया है कि बच्चों के परिवार को 04 लाख रूपये दिये जाने के संबंध में अभिलेख संधारित किया गया है। और स्वीकृति उपरांत अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। इसके लिए उन्होने 02 सप्ताह के समय मांगा किया गया है। पुनः संचिका दिनांक 24.03.2023 को प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही कार्यपालक अभियंता पाटलीपुत्रा प्रमंडल पटना नगर निगम एवं अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधक एवं महाप्रबंधक बुडको को अगली तिथि को राज्य आयोग के सहायतार्थ उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

दिनांक 24.03.2023 प्रतिवेदन एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)

Chairperson